पत्रांक 1490/34 श्री/4 एम एस कैम्प/2019
दिनांक 06/07/19

O.A. No 673 of 2018 in the matter of 'News item published in the Hindu authored by Shri Jacob Koshy titled "More river Stretches are now critically polluted: CPCB', में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2019 के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.2019 को अपरान्ह 12:30 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–673/2018 में दिनांक 20.09.2018, 19.12.2018 एवं दिनांक 08.04.2019 को पारित आदेश के अनुक्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा गठित River Rejuvenation Committee (RRC) एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक–13.05.2019 को बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

(1) बैठक में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा प्रथम चरण की चार अत्यन्त प्रदूषित नदियों के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को दिनांक: 17.04.2019 को प्रेषित की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कमांक	नदी का नाम	नदी स्ट्रेच
1	हिण्डन	सहारनपुर से गाजियाबाद
2	वरुणा	रामेश्वर से वाराणसी
3	काली नदी (ईस्ट)	मुजफ्फरनगर से गुलावटी टाउन
4	यमुना	असगरपुर से इटावा, शाहपुर से बलुआ घाट (प्रयागराज)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक: 24.04.2019 को टॉस्क टीम की बैठक में विचारोपरान्त कतिपय सूचनायें उक्त कार्ययोजना में सम्मिलित करने की अपेक्षा की गयी है, जिसमें प्रमुख रूप से उद्योगों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं जल खपत तथा उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति, गैप एनॉलिसिस, सभी ड्रेन्स की सूची एवं जल गुणता का विवरण, भूजल गुणता का विवरण इत्यादि को सम्मिलित किया जाना था।

CEO(C-4) /Nodal/ 1/2/3/5/6/7
06/07/19
(आशीष तिवारी) सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सभी सूचनाएं/विवरण उपरोक्त चारों नदियों हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना में सम्मिलित कर दिया गया है तथा संशोधित कार्ययोजना को पत्र दिनांक 10.05.2019 के माध्यम से प्रेषित करते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टॉस्क टीम के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तिथि निर्धारित करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया जा चुका है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.04.2019 के क्रम में यह निर्देशित

किया गया कि उक्त कार्ययोजनाओं पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाहीः रिवर रिजूवेनेशन कमेटी)

(2) ओ0ए0 सं0–06/2012 में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा श्रीमती शैलजा चन्द्रा एवं श्री बी0एस0 सजवाण की सदस्यता में गठित यमुना मानीटरिंग कमेटी द्वारा उ0प्र0 को भेजी गयी रिपोर्ट के क्रम में पर्यावरण, नगर विकास एवं सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी विभागीय आख्या/कार्ययोजना की अनुपालन आख्या माननीय समिति को प्रेषित की जाए तथा उसकी एक प्रति आगामी बैठक में समीक्षा हेतु प्रस्तुत भी की जाए। उक्त तीनों विभागों की अनुपालन आख्या को समेकित रूप से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही :– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास, पर्यावरण एवं सिचाई विभाग तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त में धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या–1125/079/55–पर्या–2–2019–49(पर्या0)/2017
लखनऊः दिनांकः21 मई, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नगर विकास/सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।